अनुलग्नक क. 1.8

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 27/09/2003

क्रमांक 1/9/2003/वित्त(सम.)/चार- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243- झ (1) के खण्ड (ग) तथा अनुच्छेद 243-म (एक) के खण्ड (ग) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में, उक्त अनुच्छेदों के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन सिफारिशों के बारे में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित निर्देशों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों हेतु निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :-

1\. (एक) यह उद्देश्य कि न केवल एक ओर राज्य सरकार और दूसरी ओर पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के राजस्व लेखे में प्राप्ति और व्यय का संतुलन बनाया जाए किन्तु साथ ही यह भी कि पूंजी विनिधान हेतु अधिशेष प्राप्त किया जाए और वित्तीय घाटा कम किया जाए;

(दो) राज्य सरकार के स्त्रोत और उन पर मांगें, विशिष्टतः सिविल प्रशासन, पुलिस और न्यायिक प्रशासन, ऋण सेवा पर होने वाला व्यय तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय या दायित्व;

(तीन) पूंजी आस्तियों का अनुरक्षण और रख-रखाव तथा दिनांक 31-3-2005 तक पूरी की जाने वाली योजना स्कीमों पर अनुरक्षण व्यय तथा वे मान (नार्म) जिनके आधार पर पूंजी आस्तियों के अनुरक्षण के लिए विनिर्दिष्ट रकमों की सिफारिश की गई है और ऐसे व्यय के अनुश्रवण (मानीटरिंग) की रीति;

(चार) वर्ष 2004-05 में कराधान के स्तर के आधार पर 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए एक ओर राज्य सरकार के तथा दूसरी ओर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के राजस्व स्त्रोत, योजना के लिए अतिरिक्त स्त्रोत जुटाने के लिए निर्धारित लक्ष्य और अतिरिक्त कर बढ़ाने की संभाव्यता;

(पांच) दक्षता के सुसंगत बेहतर वित्तीय प्रबंध की संभावना और व्यय की मितव्ययता;

(छः) सांविधानिक संशोधनों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को अंतरित किये गये कृत्यों और सेवाओं की तुलना में उन कृत्यों और सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों की सेवाओं का अंतरण;

(सात) ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश;

2 (एक) पूर्व में सौंपे गये दायित्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व लेखे की प्राप्तियों और व्ययों का निर्धारण करते समय, प्रामाणिक दृष्टिकोण अपनाना;

(दो) संसाधन की बेहतर गतिशीलता और वित्तीय अनुशासन के लिए साथ ही साथ व्यय और राजस्व बढ़ाने के विनिश्चयों को निकट से जोड़ने के लिए यथोचित प्रोत्साहन देने की आवश्यकता का सम्यक् ध्यान रखना;

(तीन) सरकारी कार्यक्रमों के लिए वितरण प्रणाली में तेजी, दक्षता और प्रभावशीलता की आवश्यकता पर विचार करना.

3\. आयोग, पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2004 तक उपलब्ध करायेगा. आयोग उस आधार को उपदर्शित करेगा, जिस पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(ए.के. विजयवर्गीय)
उप मुख्य सचिव